प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://www.pwd.uk.gov.in

पत्रांकः-437/76याता0 (क)–उ0/2018 दिनांकः 24 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1- रीजनल आफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

2- अधीक्षण अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, 10वाँ वृत्त,
लो0नि0वि0, देहरादून।

3- अधीक्षण अभियन्ता,
नवम् वृत्त, लो0नि0वि0,
देहरादून।

विषय :– **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का स्थल चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– (i) **परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1794/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(50) /2018, दिनांक 23.04.2018 (संलग्न)**
(ii) **इस कार्यालय का पत्रांक–306/76 याता (क)–उ0/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018 (संलग्न)**
(iii) **इस कार्यालय का पत्रांक–379/76 याता (क)–उ0/2018 दिनांक 07 अप्रैल, 2018 (संलग्न)**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, अवगत कराना है, कि राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून से रूडकी मार्ग (वाया हरिद्वार) एवं देहरादून से थानों मार्ग का निरीक्षण किये जाने के उपरान्त निदेशक, यातायात पुलिस मुख्यालय, देहरादून का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त हुआ है। निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित कमियों के सुधारीकरण के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना आतिथि तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हो पायी है।

अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जांय।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/टिहरी/पौडी/हल्द्वानी/अल्मोडा /पिथौरागढ /राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में अपने–अपने क्षेत्रों के अधीन "सडक सुरक्षा सप्ताह (23.04.2018 से 30.04.2018)" के अन्तर्गत मार्गों का सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय।
5– मुख्य अभियन्ता, ADB/USRIP/UEAP/UDRP/PMGSY.................को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में अपने–अपने क्षेत्रों के अधीन "सडक सुरक्षा सप्ताह (23.04.2018 से 30.04.2018)" के अन्तर्गत मार्गों का सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय।

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर..............................

6– कमाण्डेन्ट, सीमा सडक संगठन, आईडीपीएल, ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में अपने–अपने क्षेत्रों के अधीन ''सडक सुरक्षा सप्ताह (23.04.2018 से 30.04.2018)'' के अन्तर्गत मार्गों का सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय।

7– नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

8– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0मा0/ए0डी0बी0/USRIP/UEAP/UDRP/PMGSY..................को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

9– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु ।

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608106 फैक्स न0–2608108

संख्या 1794 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(50) / 2018 दिनांक: 23 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषयः **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का स्थल चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–881 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(50) / 2018 दिनांक 23–02–2018 एवं पत्र संख्या–1477 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(50) / 2018 दिनांक 31–03–2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, सम्बन्धित पत्रों के अन्तर्गत निदेशक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 21–02–2018 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून से रूड़की मार्ग (वाया हरिद्वार) एवं देहरादून से थानों मार्ग का स्थलीय निरीक्षण के दौरान मार्ग पर पायी गयी कमियों (यथा पाट होल्स, पैचेज, रोड साइनेज, डाईबर्जन बोर्ड आदि) को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना आतिथि तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो पायी है।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या / सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, गृह / सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– यातायात निदेशक, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
4– रीजनल आफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलवीर रोड़, देहरादून।
5– अधीक्षण अभियन्ता / नोडल अधिकारी, नवावृत्त, लोक निर्माण विभाग यमुना कॉलोनी, देहरादून।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
E-Mail-eicpwduk@nic.in
Phone&Fax:-0135-253154/2531072
Website-http://www.pwd.uk.gov.in

दिनांकः 19 मार्च, 2017

पत्रांकः-306/76याता0 (क)–उ0 / 2018

सेवा में,

1- रीजनल आफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

2- अधीक्षण अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, 10वॉ वृत्त,
लो0नि0वि0, देहरादून।

3- अधीक्षण अभियन्ता,
नवम् वृत्त, लो0नि0वि0,
देहरादून।

विषय :– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का स्थल चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–881 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(50) / 2018,दिनांक 23.02.2018 (संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में निदेशक यातायात, पुलिस मुख्यालय, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 20.02.2018 को पुलिस यातायात निदेशालय के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून से रूडकी (वाया हरिद्वार) एवं देहरादून से थानों मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण के दौरान मार्ग के कई भागों में Road Safety Measures की आवश्यकता से इंगित कराते हुये स्थलों के फोटोग्राफ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। (संलग्न)

कृपया सुझावों के अनुसार मार्गों के सुधार हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जांय।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ / सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3– प्रमुख सचिव / सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
4– यातायात निदेशक, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून क pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072
Website-http://www.pwd.uk.gov.in
E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 379 /76याता0 (क)–उ0/2018 दिनांक:07 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1- रीजनल आफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

2- मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0,
देहरादून।

विषय :– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का स्थल चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– (i) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1477/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(50)/2018, दिनांक 31.03.2018
(ii) परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–881/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(50)/2018, दिनांक 23.02.2018
(iii) इस कार्यालय का पत्रांक–306/76याता0 (क)–उ0/2018 दिनांक 19 मार्च, 2018
(iv) इस कार्यालय का पत्रांक–317/76याता0 (क)–उ0/2018 दिनांक 22 मार्च, 2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि निदेशक यातायात, पुलिस मुख्यालय देहरादून के पत्र दिनांक 21.02.2018 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें मार्गों पर पायी गयी कमियों (यथा पैचेज, रोड साईनेज, डाईवर्जन बोर्ड आदि) को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशित किया गया है, उपरोक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के उपरोक्त पत्रांक–306/76याता (क)–उ0/2018 दिनांक 19.03.2018 द्वारा मार्गों का सुधार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आतिथि तक कृत कार्यवाही की सूचना अभी तक अपेक्षित है।

जैसा कि आप अवगत भी होंगे सडक परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– RT-25029/01/2017-RS दिनांक 09 मार्च, 2018 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत 29th सडक सुरक्षा सप्ताह (23.04.2018 से 30.04.2018) ''सडक सुरक्षा–जीवन रक्षा'' अभियान आयोजित किया गया है। जिसमें मार्गों का Patch less होना तथा आवश्यक भागों में Road Marking, Signages, Informatory-Regulatory sign board, Speed Calming Measures आदि का स्थापित होने की भूमिका अहम होगी।

अतः उपरोक्त स्थलों का सुधारीकरण करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल प्रेषित किये जांय ताकि सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।

क्रमशः पेज नम्बर 02 पर.........................

4– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/टिहरी/पौडी/हल्द्वानी/अल्मोडा /पिथौराग /राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन अपने–अपने क्षेत्रों के अधीन ''सडक सुरक्षा सप्ताह (23.04.2018 से 30.04.2018)'' के अन्तर्गत मार्गों क सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय।

5– मुख्य अभियन्ता, ADB/USRIP/UEAP/UDRP/PMGSY.................को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में अपने–अपने क्षेत्रों के अधीन ''सडक सुरक्षा सप्ताह (23.04.2018 से 30.04.2018)'' के अन्तर्गत मार्गों का सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय।

6– कमाण्डेन्ट, सीमा सडक संगठन, आईडीपीएल, ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में अपने–अपने क्षेत्रों के अधीन ''सडक सुरक्षा सप्ताह (23.04.2018 से 30.04.2018)'' के अन्तर्गत मार्गों का सुधार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को दिशा–निर्देश निर्गत किये जांय।

7– नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

8– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0मा0/ए0डी0बी0/USRIP/UEAP/UDRP/PMGSY.................को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

9– आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु ।

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)